**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 91**

**(जिसका उत्तर सोमवार, 18 नवंबर, 2019/27 कार्तिक, 1941 (शक) को दिया गया)**

**सीएसआर हेतु मानदंड**

**91. श्री चुन्नी लाल साहूः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कारपोरेट फर्मों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) मानदंडों का अनुपालन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उन सभी कारपोरेट घरानों/फर्मों/कंपनियों की सूची क्या है जो सीएसआर नियमों का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं; और

(ग) छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएसआर के अंतर्गत व्यय की जाने वाली निधि से कारपोरेट फर्मों द्वारा किए गए क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)**

**(क) से (ग):** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 अधिदेशित करती है कि प्रत्येक कंपनी जिसका निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये और इससे अधिक, या कारोबार 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक या जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक है, तो उसे तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत इस अधिनियम की अनुसूची-VII में उल्लिखित किसी भी पात्र कार्यकलाप में सीएसआर के लिए व्यय करना होता है। छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में उन कंपनियों, जो सीएसआर के दायरे में आती हैं का विवरण मंत्रालय द्वारा पृथक रूप से नहीं रखा जाता है। कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कंपनियों द्वारा दिए गए समस्त आंकड़े राष्ट्रीय सीएसआर पोर्टल, www.csr.gov.in पर उपलब्ध हैं।

******